फाइल नं0-71-3099/120/2022-03

51/2023/I/294984/2023

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
हरदोई।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक 28 मार्च, 2023

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुरसा, हरदोई में स्थापित बी0एस0एल0-2 लैब को स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, हरदोई के चतुर्थ तल में स्थानान्तरित किये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-रा0मे0का0ह0/2021-2022/785, दिनॉक 22.12.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुरसा, हरदोई में स्थापित बी0एस0एल0-2 लैब को स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, हरदोई के चतुर्थ तल में स्थानान्तरित किये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुरसा, हरदोई में स्थापित बी0एस0एल0-2 लैब को स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, हरदोई के चतुर्थ तल में स्थानान्तरित किये जाने हेतु तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 27.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-8902-मेडिकल कालेज, हरदोई-24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 1887.58 लाख में से रू0 27.00 लाख (रू0 सत्ताईस लाख मात्र) अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) वित्त -अनुभाग (व्ययक-आय)1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 , दिनांक -07 जून , 2022 में उल्लिखित दिशानिर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित - किया जायेगा।

(2) सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया के तहत प्राक्कलन में निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप समयबद्ध रूप से गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। प्रस्तावित समस्त कार्यो की गुणवत्ता व आडिट की जिम्मेदारी कार्य कराने वाली संस्था प्रमुख एवं कार्यदायी संस्था की होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) प्रश्नगत कार्य के लिए निर्विवाद रूप से नियमानुसार भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(4) नियमानुसार एवं आवश्यकतानुसार समस्त वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये।

(5) प्रायोजनान्तर्गत कार्य मदोंविशिष्टियों में कोई परिवर्तन/, मूल्याकंन समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा , इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइनड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत / में यदि10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है, तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 01 माह के अन्दर समिति का पुनथा किया जाना अनिवार्य होगा अन्यअनुमोदन प्राप्त : बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

(6) संबंधित प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजनाकृत स्रोत से धनराशि स्वी/ नहीं की गई है। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यो की दुरावृत्ति नहीं हो रही है।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्योमदों में किया जायेगा/, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्योमदों पर धनराशि का/ व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

(8) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों तथा प्रायोजना को निर्धारित समयसीमा- के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने की जिम्मेदारी महानिदेशक की होगी।कार्यदायी संस्था/प्रधानाचार्य/

(9) प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाये।

(10) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

(11) प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्थार का अनुमोदनमेडिकल कालेज के सक्षम स्त/ प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन करायामहालेखाकार को उपलब्ध/ जायेगा।

(12) प्रायोजना में सम्मिलित , जो कार्य प्रोप्राइटरी श्रेणी का कार्य है एवं इनके शिड्यूल ऑफ रेटस उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक , मॉडल एवं स्पेसिफिकेशन के अंतर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतसंबंधित प्रधानाचार्य द्वारा निर्माण के समय इसका कार्य एवं : स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाये।

(13) प्रायोजना का निर्माण स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित कराया जाये। प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

(14) बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हेतु सेन्टेज अनुमन्य नहीं होगा।

(15) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघरबैंक खाते में नही रखा जायेगा।/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(16) संबंधित परियोजना के आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(17) कार्यदायी संस्था को दो माह की आवश्यकता के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जायेगी। विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दोदो माह की- आवश्यकता के अनुसार ही किया जाये।

(18) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की दिरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से (केसीडुप्ली) महानिदेशकप्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व/ में किसी अन्य योजनाकृत है और नर्गत न तो स्वीकार्यक्रम के अन्त/ वर्तमान में किसी अन्य योजनाकार्यक्र/म में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 27,00,000 (रुपये सत्ताईस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 031 **लेखा शीर्षक** 4210031058902 मेडिकल कालेज, हरदोई **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

संख्याः- उपरोक्त, तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- श्री कुलदीप कुमार रस्तोगी, संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, हरदोई।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरदोई।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
8- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।